न्यायालय संभागीय आयुक्त, मुकाम सीकर

अपील संख्या 42/2023

जय सिंह पुत्र मुलाराम निवासी गांव हरिपुरा ग्राम पंचायत जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश जिला झुन्झुनू राजस्थान
2. तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

उपस्थितिः—
1. श्री जतन किशोर सैनी

निर्णय

दिनांकः—10.10.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तगर्त धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 03.11.2023 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू में खसरा नं0 108/1, 369, 421, 433, 438, 440, व 456 कुल किता 7 कुल रकबा 3.23 है0 में स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि में से खसरा नं0 180/1 भूमि सम्पूर्ण एवं खसरा 369 मे से भूमि को गैर मुमकिन रास्ता में परिवर्तन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू के आदेश पत्राक प12(40) राज/2016/2486.2501 दिनांक 26.08.2016 के द्वारा पटवार हल्का जोधपुरा ग्राम हरिपुरा में जिलाधीश के आदेश की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि आप द्वारा भिजवाई गई रिपार्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख मे अंकन राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एव 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66, एव 86 के प्रावधानो के अनुसार किया जाना है अतः निम्नलिखित रास्तों का नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख मे लाल स्याही से अंकन करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम करे। इस प्रकार उक्त आदेश की क्रम संख्या 12 मे अंकित पटवार हल्का जोधपुरा के राजस्व ग्राम हरिपुरा के प्रकरण संख्या 11/2016 बउनवानी राज0 सरकार बनाम नानची देवी में अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये हि अपीलार्थी की भूमि खसरा नं0 180/1 की सम्पूर्ण भूमि को गैर मुमकिन रास्ता मे एवं खसरा 369 मे से 0.02 है0 भूमि गैर मुमकिन रास्ता के लिये दर्ज करने के आदेश दिनांक 0.3.11.2016 को पारित कर दिये। आपेक्षित आदेश दिनांक 03.11.2016 विधि विरूद्ध एव

संभागीय आयुक्त
सीकर

एकपक्षीय होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आक्षेपित आदेश तत्पश्चात नामान्तकरण पारित करने के पूर्व अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाया गया तथा ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया इसलिए आपेक्षित आदेश दिनांक 03.11.2016 के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 296 प्रारम्भ से नल एण्ड वोईड इस कारण आपेक्षित आदेश दिनांक 03.11.2016 काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जतन किशोर सैनी उपस्थित। बहस अपीलार्थी सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपीलार्थी जय सिंह व आषिश पुत्र सुभाष का सहमति पत्र तथा सरपंच श्री रोहित सैनी का प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 03.11.2016 को तहसीलदार उदयपुरवाटी से पत्रावली मय नक्शा प्रस्तुत की जाने पर प्रस्तावित रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिस पर अपीलार्थी आपत्ति जताते हुये कथन किया कि उक्त आदेश पारित करते वक्त अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नं0 180/1 व 369 का अपीलार्थी बतौर खातेदार अंकित है तथा उक्त आदेश को पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया व उक्त भूमि के संबंध में कोई मौका नही रिपोर्ट मंगवायी गयी है। खातेदार को बिना सुचित किये हुए उसके खातेदारी की भूमि किसी प्रकार आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत व न्यायहित में नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2016 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा नं0 180/1 व 369 में संबंधित खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा मौका निरिक्षण करते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे।

संभागीय आयुक्त
(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
सीकर